न्यायालय तहसीलदार, गंगापुर सिटी जिला–गंगापुर सिटी

मु.नं. :90 / 2024	तारीख रजू 27.08.2024	निर्णय दिनांक 18.09.2024

सरकार बनाम मजहर

—: निर्णय :—

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का हिगोंटिया ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि मजहर पुत्र सरफूददीन जाति मुसलमान निवासी कैलाश टाकिज के पास, गंगापुर सिटी ने ग्राम हिगोटियां के खसरा नं. 442 रकबा 1.50 है0 व 443 रकबा 1.50 है0 कुल रकबा 3.00 है0 किस्म गै0मु0 नाला पर संवत् 2081 में अनाधिकृत रूप से कब्जाकर अवैध अतिचार किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई व सबूत पेश करने का विधिवत् रूप से समुचित अवसर दिया गया।

नोटिस तामील होकर प्राप्त हुआ। गैरसायल बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहा है अतः इसके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है।

उपस्थित पटवारी हल्का को सुना गया। उपस्थित पटवारी हल्का ने अतिक्रमण के संबंध में अपनी रिपोर्ट की रिकॉर्ड से ताईद की एवं जमाबंदी का अवलोकन कराया।

पत्रावली का अवलोकन किया। उपस्थित पटवारी हल्का ने अवगत कराया कि गैरसायल द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जाकर अतिक्रमण कर लिया है तथा अतिचारी के विरुद्ध कार्यवाही की इस्तदुआ की। उभय पक्ष को सुना गया। गैरसायल का आराजी प्रश्नगत पर अतिचार प्रमाणित है। अतः गैरसायल को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया जावें एवं इन पर लगान 6/– की 50 गुना शास्ति 300/–रूपये आरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व गिरदावर वृत्त अतिचारित कब्जे को नियमानुसार हटवा कर, जब्त सामग्री को नीलाम करते हुये उक्त वाद आराजीयात से अतिक्रमी को बेदखल करते हुये पालना रिपोर्ट पृथक् से देवें। तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का से माँग कायमी करवाई जावे। गिरदावर वृत्त व पटवारी हल्का को पालनार्थ पृथक् से लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुधारानी मीना)
तहसीलदार
गंगापुर सिटी

रजिस्टर"घ" के पेज संख्या ....
पर रुपये 300/– की कायमी वर्ष
2024–25 की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार